



क्र. 327/स्था./प्रशा./2023

बिलासपुर, दिनांक 4/9/2023

कार्यालयीय ज्ञाप

विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28.07.2023 में पद क्रमांक अ.अ.वि.क्र.1 में लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय के डी-टाईप एवं जवाहर अतिथि सदन स्थित बालिका छात्रावासों हेतु निम्नानुसार अनुदेश जारी किये जाते हैं -

1. डी-टाईप बालिका छात्रावास मिनिमाता कन्या छात्रावास के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहेगा।
2. डी-टाईप बालिका छात्रावास में कुल 36 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। यहाँ के 09 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में 04-04 छात्राएं रह सकेंगी।
3. डी-टाईप बालिका छात्रावास का वार्षिक शुल्क रु 12,000/- प्रतिछात्रा (रु1000/-प्रतिमाह) होगा। तथा रु 2,000/- काशन मनी के रूप में जमा करना होगा।
4. जवाहर सदन बालिका छात्रावास राजमोहिनी कन्या छात्रावास के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहेगा।
5. जवाहर सदन बालिका छात्रावास में अधिकतम 24 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी।
6. जवाहर सदन बालिका छात्रावास में सिंगल आक्यूपेन्सी का वार्षिक शुल्क रु 1,20,000/- प्रतिछात्रा (रु10,000/-प्रतिमाह) होगा तथा डबल आक्यूपेन्सी का वार्षिक शुल्क रु 60,000/- प्रतिछात्रा (रु5000/-प्रतिमाह) होगा। रु 2,000/- काशन मनी के रूप में जमा करना होगा। इस छात्रावास में ए.सी.रूम, वाई-फाई इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होगी।

डी-टाईप एवं जवाहर अतिथि सदन स्थित बालिका छात्रावासों की छात्राओं हेतु कन्या छात्रावासों के नियम-परिनियम लागू एवं मान्य होंगे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.क्र. 327/स्था./प्रशा./2023
प्रतिलिप -

बिलासपुर, दिनांक 4/9/2023

01. कुलपति महोदय/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर माननीय कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
02. वित्ताधिकारी/आंतरिक अंकेक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
03. समस्त अधिष्ठाताओं/विभागाध्यक्षों/विभागीय अधिकारियों, की ओर सूचनार्थ।
04. मुख्य छात्रावास अधीक्षक/प्रशासनिक अधीक्षक (राजमोहिनी देवी बालिका छात्रावास/मिति माता बालिका छात्रावास) की ओर सूचनार्थ।
05. निदेशक आंतरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ की ओर सूचनार्थ।
06. समनवयक आई.टी. सेल की ओर सूचनार्थ।
07. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)